कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

Se.15

पत्रांक 12636 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-92/2005 दिनांक 26/12/2013

संशोधित कार्यालय-ज्ञाप

मेसर्स हिन्द कान्स्ट्रक्शन इण्टरप्राईजेज(सोल प्रोपराइटर-श्री शकील हैदर), ग्राम-हुण्डराडीह, पोस्ट-गंगौली, जिला-गाजीपुर को अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अमेठी के अधीन पैकेज संख्या-यू0पी0-6898, 6899, 68102, 68103 एवं 68104 के क्रमशः अनुबन्ध संख्या-42,43,44,45/एस0ई0 पी0एम0 जी0एस0 वाई0वृत्त/09-10, दि0-31.07.09 एवं अनुबन्ध संख्या-65/एस0ई0पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त/09-10, दि0-05.12.09, जिनकी कार्य समाप्ति की तिथि क्रमशः दिनांक-30.04.2010, 30.04.2010, 30.04.2010, 30.04.2010 एवं 04.09.2010 थी, के अन्तर्गत कराए गए कार्यो को अनुबन्धों की शर्तों एवं विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण नहीं किए जाने एवं कराए गए कार्य भी अधोमानक गुणवत्ता के पाए जाने के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक-12402एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-92/2005, दिनांक-18.12.2013 द्वारा उक्त फर्म/ठेकेदार के मार्ग श्रेणी 'ए' में इस कार्यालय के पत्रांक-6575एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-92/05, दिनांक-05.12.05 द्वारा किए गए पंजीकरण तथा पत्रांक-3811एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम-92/05, दिनांक-27.06.11 द्वारा दिनांक-30.6.2014 तक के लिए नवीनीकरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उक्त फर्म/ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करते हुए उक्त फर्म/ठेकेदार से प्रकरण में एस0बी0डी0 क्लाज-52 (टर्मिनेशन क्लाज) के अन्तर्गत व्यपहरित शासकीय धनराशि की नियमानुसार वसूली किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अमेठी के पत्रांक-160/1कैम्प/13, दिनांक-06.12.2013 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार उक्त फर्म/ठेकेदार द्वारा बिना कार्य कराए एवं बिना बिल वाउचर के तथा बिना कैश बुक में इन्ट्री किए संबंधित खण्डीय अधिकारियों/कर्मचारियों से दुरभि संधि कर उपरोक्त अनुबन्धों के अन्तर्गत अनियमित ढंग से शासकीय धनराशि कुल रू0-2,09,69,456/- का भुगतान प्राप्त किया गया।

अतः इस कार्यालय के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-18.12.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए मेसर्स हिन्द कान्स्ट्रक्शन इण्टरप्राईजेज(सोल प्रोपराइटर-श्री शकील हैदर), ग्राम-हुण्डराडीह, पोस्ट-गंगौली, जिला-गाजीपुर को उपरोक्त अनियमितताओं एवं अनियमित ढंग से उपरोक्तानुसार शासकीय धनराशि रू0-2,09,69,456/- का भुगतान प्राप्त किए जाने हेतु दोषी मानते हुए ब्लैक लिस्ट(**Blacklist**) किया जाता है तथा प्रकरण में व्यपहरित शासकीय धनराशि की नियमानुसार वसूली किए जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। शेष आदेश यथावत् रहेंगे।

26/12/13
(एच0एन0 पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता (मु0-2)
लो0नि0वि0 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, डास्प/सोडिक लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
4. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 इलाहाबाद।
7. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0वृत्त, लो0नि0वि0, इलाहाबाद।
10. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अमेठी।
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, चतुर्थ एवं पंचम तल, गन्ना विकास संस्थान, न्यू बेरी रोड लखनऊ।
12. मेसर्स हिन्द कान्स्ट्रक्शन इण्टरप्राईजेज(सोल प्रोपराइटर-श्री शकील हैदर), ग्राम-हुण्डराडीह, पोस्ट-गंगौली, गाजीपुर। (पंजीकृत)

(संजय)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0)
लो0नि0वि0 लखनऊ